



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2012 जिला-शाजापुर

R 2925-2112

- 1— मसीद खां पुत्र बसीर खां
- 2— अजीज खां पुत्र बसीर खां
- 3— हसन खां पुत्र बसीर खां
- 4— अमामुद्दीन पुत्र नूर खां
- 5— कल्लू खां पुत्र नूर खां
निवासीगण— ग्राम खीकराकला
तहसील काला पीपल, जिला-शाजापुर
(म.प्र.)

..... आवेदकगण

विरुद्ध

- 1— कृष्णबाई पत्नी जमनाप्रसाद माली,
- 2— लीलादेवी पत्नी श्री यशवंत कुमार,
..... असल अनावेदकगण
- 3— सरीफ खां पुत्र दाऊर खां
- 4— समद खां पुत्र दाऊर खां
निवासीगण— ग्राम खीकराकला
तहसील काला पीपल, जिला-शाजापुर
(म.प्र.)

..... तरतीवी अनावेदकगण

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी शुजालपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 30/अप्रैल/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 07.08.2012 के विरुद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों व आधारों पर सविनय प्रस्तुत है :-

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

- 1— यहकि, अनावेदक क्रमांक 1 व 2 ने तहसीलदार काला पीपल के समक्ष एक आवेदन—पत्र संहिता की धारा 131, 132, 133, 134 के अधीन इस आशय का प्रस्तुत किया था कि ग्राम खीकराकला में उनके भूमि स्वामी स्वत्व की भूमि सर्वे क्रमांक मिन 694/6 रकवा 0.857 हेक्टेयर एवं सर्वे क्रमांक मिन 694/3 रकवा 0.209 हेक्टेयर यह भूमि अनावेदक क्रमांक 1 के भूमि स्वामी स्वत्व की है तथा अनावेदक क्रमांक 2 के भूमि स्वामी स्वत्व की भूमि सर्वे क्रमांक

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2925-एक/12

जिला - शाजापुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
५.१२.१८	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मन्द चतुर्वेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक २७.३.१९ को कलेक्टर, जिला शाजापुर के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p>(३)</p>	 प्रशासकीय सदस्य